बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023

संख्या–06/चार्जिंग स्टेशन–09–29/2021 9172 **/पटना, दिनांक** 5/12/2023

1. **प्रस्तावना/परिचय**

जीवाश्म ईंधन के जारी क्षरण, कीमत में वृद्धि तथा परिवेशीय प्रदूषण के आलोक में इलेक्ट्रिक गतिशीलता की ओर अग्रसर होना आशाजनक वैश्विक रणनीति है। इलेक्ट्रिक/बैट्री चालित वाहनों की तकनीक अपनाये जाने से वृहत लाभ उपलब्ध होंगे यथा– पर्यावरण की अनुकूलता, वायु गुणवत्ता में सुधार, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ध्वनि प्रदूषण में कमी, आवृत्ति व्यय में कमी तथा नागरिकों को अधिक सुरक्षा।

समकक्ष इन्टर्नल कम्बशन इंजन (ICE) की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन निम्नांकित कारणों से अधिक सुरक्षित समझे जाते हैं :–

(क) कम ऊँचाई एवं बैट्री के घनत्व के कारण गुरूत्वाकर्षण का केन्द्र निम्नतर होना।

(ख) ICE की तुलना में विद्युत मोटर के कम जगह लेने के कारण अग्र क्रम्पल क्षेत्र में वृद्धि।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कुल नए वाहनों में कम–से–कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करते हुए वैश्विक अभियान EV 30@30 को सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन प्रक्षेत्र में, हाल के तकनीकी–आर्थिक विकास और बिहार के नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्साहपूर्ण स्वीकार्यता के आधार पर राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए **'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'** का सूत्रण करती है। इस नीति की प्रभावी अवधि अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्षों तक के लिए होगी।

2. **परिभाषाएँ**

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित नहीं किया जाय।

(ii) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य।

(iii) 'नीति' से अभिप्रेत है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023।

(iv) 'इलेक्ट्रिक वाहन' से अभिप्रेत है वैसे वाहन जिन्हें मात्र इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती हो, जिनमें ट्रैक्शन उर्जा (कर्षण उर्जा) वाहन में अवस्थित ट्रैक्शन बैट्री से ही उपलब्ध हो एवं जिसमें इलेक्ट्रिक पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम हो।

इसमें भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित सभी प्रकार के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन सम्मिलित हैं।

(v) 'आइ.सी.इ' से अभिप्रेत है आन्तरिक दहन इंजन।

(vi) 'FAME-II' से अभिप्रेत है भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles in India, योजना एवं उसमें समय–समय पर किए गए संशोधन।

(vii) 'इलेक्ट्रिक चार्जर':– इलेक्ट्रिक चार्जर, जिसे इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्त्ति उपकरण भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक वाहन आधारभूत संरचना में एक उपकरण है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए विद्युत उर्जा प्रदान करता है।

(viii) 'सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन' (PCS) में समाहित है चार्जिंग स्टेशन, संबद्ध विद्युत आधारभूत संरचना, पार्किंग क्षेत्र (निकास सहित) वाहनों का प्रवेश एवं निकास एवं आमजनों के लिए खुली (अप्रतिबंधित) पहुँच हो। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में किसी इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ता के लिए उपयोग की कोई सीमा निर्धारित नहीं हो। उदाहरण स्वरूप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में मात्र अंशदान के ही आधार पर सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) 'अर्द्ध सार्वजनिक स्टेशन' में समाहित है चार्जिंग स्टेशन, सम्बद्ध विद्युतीय आधारभूत संरचना, पार्किंग क्षेत्र (निकास सहित), वाहनों के लिए प्रवेश एवं निकास हो एवं आमजनों के लिए सीमित पहुँच हो (अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों यथा व्यावसायिक तथा सांस्थिक भवन, मॉल, शॉपिंग कम्पलेक्स, अस्पताल, चलचित्रगृह/मल्टीप्लेक्स, कार्यालय परिसर, होटल, रेस्टोरेन्ट इत्यादि)।

(x) 'ए.सी.' से अभिप्रेत है अल्टरनेट करेन्ट।

(xi) 'डी.सी.' से अभिप्रेत है, डायरेक्ट करेन्ट।

(xii) 'सी.सी.एस.' से अभिप्रेत है, संयुक्त चार्जिंग उपकरण।

(xiii) 'CHAdeMo' से अभिप्रेत है, चार्ज–डी–मूव।

(xiv) 'इ.सी.एस.' से अभिप्रेत है, समतुल्य कार पार्किंग क्षेत्र।

3. उद्देश्य

3.1 इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी के विकास के लिए बिहार को एक आदर्श राज्य बनाना।

3.2 इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की एक मजबूत और सुलभ आधारभूत संरचना राज्य में विकसित करना।

3.3 इलेक्ट्रिक गतिशीलता तथा संबद्ध सहयोगी प्रक्षेत्र, यथा आँकड़ा विश्लेषण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहित करना।

3.4 वायु प्रदूषण में कमी कर वातावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना।

4. मिशन

एक दीर्घकालिक परिवहन पारिस्थितिकी का विकास करना, जो 2028 तक अधिक–से–अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता पर केन्द्रित हो।

5. लक्ष्य

यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक बिहार राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हों।

6. विस्तार और पात्रता

6.1 **"बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023"** अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

6.2 इस नीति के अंतर्गत दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, भारत सरकार की FAME-II योजना एवं अन्य किसी संशोधन के माध्यम से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त होंगे।

6.3 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए देय प्रोत्साहन राशि, उन चार्जिंग स्टेशनों को देय होगी जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वर्तमान दिशा निर्देशों तथा मापदंडों को पूर्ण करते हों।

6.4 उद्योग विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1937/पटना, दिनांक–27.12.2017 द्वारा अधिसूचित बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण एवं संबंधित कार्य को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है।

7. **इलेक्ट्रिक वाहनों के त्वरित ग्राहयता (adoption) के लिए प्रोत्साहन**

7.1 **इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन**

(i) क्रय प्रोत्साहन राशि 5,000/– रूपए प्रति KWH बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम सीमा 10,000 रूपए प्रति वाहन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एवं 7,500 रूपए प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन अथवा नीति के प्रभावी रहने की अवधि जो पहले हो उन्हें मोटर वाहन कर में 75% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(iii) प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के पश्चात् बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(iv) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के अंतर्गत अधिकृत सेवा प्रदात्ताओं को अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40%

इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन उनके दुपहिया वाहनों के बेड़ा में शामिल करने होंगे। इस नीति का अनुपालन नही करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

(v) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के तहत सभी अनुज्ञप्तिधारक एग्रीगेटरों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान करते हुए 2028 तक अधिकतम दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन के लिए प्रेरित किया जायेगा।

7.2 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (यात्रीवाहक)

(i) इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (यात्रीवाहक) के बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित सभी नए तिपहिया वाहनों (यात्रीवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।

7.3 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (मालवाहक)

(i) इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (मालवाहक) के बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित सभी नए तिपहिया वाहनों (मालवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।

7.4 इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन

(i) क्रय प्रोत्साहन राशि 10,000/– रूपए प्रति KWH बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 1,000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम सीमा 1,50,000 रूपए प्रति वाहन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एवं अन्य वर्ग के लिए 1,25,000 रूपए प्रति वाहन इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 1000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन अथवा नीति के प्रभावी रहने की अवधि जो पहले हो उन्हें मोटर वाहन कर में 75% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(iii) प्रथम 1000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के पश्चात् बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(iv) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश, 2019 के अन्तर्गत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन, तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन उनके बेड़ा में शामिल करना होगा। इस नीति का अनुपालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसंगत कार्रवाई की जा सकेगी।

(v) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के तहत सभी अनुज्ञप्तिधारक एग्रीगेटरों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान करते हुए 2028 तक अधिकतम चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन के लिए प्रेरित किया जायेगा।

7.5 हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (मालवाहक)

(i) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित हल्के इलेक्ट्रिक वाहन (मालवाहक) पर 50% की मोटरवाहन कर में छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार में क्रय एवं निबंधित सभी इलेक्ट्रिक हल्के मालवाहक वाहन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।

7.6 भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक)

(i) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित नए इलेक्ट्रिक भारी मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) के लिए मोटर वाहन कर में 75% की छूट अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि के शुरूआत के दो वर्षों में दी जाएगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित इलेक्ट्रिक भारी मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) को इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि के दो वर्ष के पश्चात् मोटर वाहन कर में 50% की छूट देय होगी।

(iii) बिहार में क्रय एवं निबंधित सभी इलेक्ट्रिक भारी मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।

7.7 सभी प्रकार के वाहनों के लिए सामान्य प्रावधान

(i) बिहार राज्य में क्रय किये एवं निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों के वाहन स्वामी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार अपने पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के भी पात्र होंगे।

(ii) ऊपर वर्णित सभी प्रकार के बिहार राज्य में क्रय किये एंव निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रोत्साहन, FAME India के अन्तर्गत प्रत्येक कोटि के इलेक्ट्रिक वाहन की तकनीकी परिभाषा को पूर्ण करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को देय होगा।

(iii) सार्वजनिक पार्किंगः– नगरीय एवं अन्य प्राधिकार द्वारा सभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नगर/शहर द्वारा सिटी पार्किंग प्लान तैयार कर अनुदानित दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का ऑन स्ट्रीट पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान किया जाएगा।

(iv) लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजना के तहत एक से अधिक समरूप प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

8. चार्जिंग स्टेशन आधारभूत संरचना

8.1 चार्जर का प्रकार एवं प्रोत्साहन

चार्जिंग की आधारभूत संरचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्राहयता की कुंजी है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस हेतु सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन पर प्रोत्साहन राशि तीन वर्षों तक ही देय होगी।

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार निम्नांकित कोटि के चार्जर चार्जिंग स्टेशनों पर स्थापित किए जा सकते हैं एवं इस हेतु कोटि के अनुसार प्रोत्साहन राशि निम्न होगीः–

कोटि–1: इलेक्ट्रिक वाहन –ए0सी0 चार्जर (3-Guns) धीमा/मध्यम चार्जरः

- **प्रोत्साहन** : प्रथम 600 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 10,000/– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 50,000/– रू0 ही देय होगा।

कोटि–2: इलेक्ट्रिक वाहन–ए0सी0 चार्जर (2-Guns) तेज चार्जरः

- **प्रोत्साहन** : प्रथम 300 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 25,000/– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 1,50,000/– रू0 ही देय होगा।

कोटि–3 : इलेक्ट्रिक वाहन–डी0सी0 चार्जर (2-Guns) धीमा/मध्यम चार्जरः

- **प्रोत्साहन** : प्रथम 300 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 25,000/– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 1,50,000/– रू0 ही देय होगा।

कोटि–4 : सी0सी0एस0/CHAdeMO चार्जर (2-Guns) तेज चार्जरः

- **प्रोत्साहन** : प्रथम 60 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 50% तथा 1,00,000/– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 10,00,000/– रू0 ही देय होगा।

9. संचालन मॉडल

भू– स्वामित्व, स्थापना का प्रकार, संचालन, संधारण तथा उपयोग के आधार पर राज्य में चार्जिंग स्टेशन के निम्नांकित मॉडल क्रियान्वित किए जाएँगेः–

9.1 निजी चार्जिंग स्टेशन

आवासीय भवनों के स्वामियों/आवासीय कल्याण संघों/सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा निजी प्रयोजन हेतु स्थापित चार्जिंग स्टेशन।

सभी आवासीय भवनों के स्वामी/आवासीय कल्याण संघ/सरकारी गृह निर्माण समितियाँ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) के लिए चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को कम–से–कम एक भारत इलेक्ट्रिक वाहन ए0सी0 चार्जर (3-Guns) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग द्वारा इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका–8 में वर्णित शर्तों के अधीन कोटि–1 के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

9.2 अर्द्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

गैर आवासीय भवनों के स्वामियों के निजी एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन।

सभी गैर आवासीय भवनों के स्वामी एवं बाजार संघ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) एवं 5 समतुल्य बाइक स्पेस चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को न्यूनतम एक भारत इलेक्ट्रिक वाहन ए0सी0 चार्जर (3-Guns) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जायेगा। विभाग द्वारा इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका–8 में यथा वर्णित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इन स्थानों पर अधिष्ठापित अन्य चार्जरों के लिए भी कंडिका–8 में वर्णित शर्तों एवं कोटि के अनुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी। हालाँकि किसी खास स्थान पर अधिकतम 5 (पाँच) EV चार्जर के लिए ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।

9.3 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

व्यावसायिक उपयोग मात्र के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन। ये सरकारी भूमि एवं निजी भूमि पर स्थापित किये जा सकते हैं। बिहार राज्य में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को निम्न स्थानों पर स्थापित किया जा सकेगाः–

9.3.1 सरकारी भूमि पर सरकारी इकाईयों द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन तथा संचालित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

(i) बिहार सरकार का कोई निगम, बोर्ड, स्थानीय नगर निकाय एवं लोक उपक्रम अपने स्वामित्व की भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के पात्र होंगे।

(ii) मशीन/उपकरण का क्रय एवं उसका अधिष्ठापन संबंधित सरकारी इकाई द्वारा किया जाएगा। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का संचालन स्वयं उनके द्वारा अथवा उर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU/CPSU) के माध्यम से किया जा सकेगा। ऐसी सरकारी इकाईयाँ सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु कंडिका–8 में यथावर्णित विवरण के अनुरूप प्रोत्साहन राशि हेतु पात्र होंगे।

(iii) बिहार में इलेक्ट्रिक वाहन की गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न सरकारी इकाईयों द्वारा निम्नलिखित रोडमैप के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा।

क्र0 सं0	सरकारी संस्था	पहले तीन वर्ष	अगले दो वर्ष
1	पथ निर्माण विभाग (एस एच एवं एम डी आर)	15	15
2	एन. एच. ए. आई.	10	10
3	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	8	8
4	बिहार राज्य सड़क विकास निगम	3	5
5	भवन निर्माण विभाग	10	10
6	उत्तर एवं दक्षिण बिहार विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	10	10
7	पटना नगर निगम	10	10
8	अन्य नगर निकाय	25	25
9	औद्योगिक क्षेत्र	5	5
10	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	7	10
11	केन्द्र सरकार विभाग	10	10
12	रेलवे	20	20
13	हवाई अड्डा	3	3
कुल		136	141

(iv) इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में कंडिका–8 के अनुसार एक या अधिक प्रकार के चार्जर स्थापित होंगे, बशर्ते उनमें कोटि–2 एवं कोटि–4 के एक–एक चार्जर प्रत्येक स्थान पर स्थापित हों।

(v) स्थान एवं अन्य विस्तृत दिशा–निर्देश परिवहन विभाग द्वारा संबंधित विभागों से परामर्श प्राप्त करने के उपरांत अलग से जारी किया जाएगा।

9.3.2 सरकारी भूमि पर निजी संचालकों द्वारा स्थापित एवं संचालित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

(i) निजी संचालक भी सरकारी भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित एवं संचालित कर सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग से लीज/भाड़े पर सरकारी भूमि प्राप्त कर चुके हों। ऐसे निजी इकाई भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर कंडिका–8 में यथा वर्णित प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे।

(ii) इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में कंडिका–8 के अनुसार एक या अधिक प्रकार के चार्जर स्थापित होंगे, बशर्ते उनमें कोटि–2 एवं कोटि–4 के एक–एक चार्जर प्रत्येक स्थान पर स्थापित हों।

(iii) सरकारी भूमि पर निजी संचालकों द्वारा स्थापित एवं संचालित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हेतु प्रोत्साहन राशि केवल उन्हीं चार्जर के लिए देय होगा जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन वर्षों के अंदर स्थापित किये गये हों एवं चालू किये जा चुके हों।

9.3.3 निजी भूमि पर स्थापित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

(i) निजी इकाइयों को भी निजी भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जो उनके स्वामित्व में हो अथवा लीज/भाड़ा/एकरारनामा द्वारा ली गयी हों।

(ii) इन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों में एक या अधिक चार्जर या चार्जरों के संयोजन की सुविधा होगी।

(iii) पेट्रोल पंप स्वामियों को उनकी भूमि पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

(iv) उपरोक्त सभी चार्जिंग स्टेशन अपने स्थलों पर अधिष्ठापित चार्जर के लिए कंडिका–8 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे।

(v) निजी भूमि पर स्थापित सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के संदर्भ में प्रोत्साहन राशि उन्हीं चार्जर के लिए देय होगी जो अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष के अंदर स्थापित किये गये हों एवं चालू किये जा चुके हों।

9.4 सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन के लिए सामान्य प्रावधान

(i) सभी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक–14.01.2022 एवं उसके पश्चात् निर्गत संशोधनों एवं प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना, उनकी अवस्थिति एवं वितरण भी उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक–14.01.2022 एवं उसके पश्चात निर्गत संशोधनों के अनुसार होगी।

(iii) सभी आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान द्वारा अपने सदस्यों को निर्हित पार्किंग क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए संबंधित को अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत किया जा सकेगा।

(iv) पेट्रोल पंपों द्वारा भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा सकेगा, बशर्ते चार्जिंग स्टेशन का क्षेत्र विभिन्न अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रासंगिक प्राधिकार के अग्नि एवं सुरक्षा मापदंड को पूर्ण करते हों।

(v) प्रोत्साहन राशि मात्र उन व्यक्तियों एवं इकाईयों को दी जायेगी, जिन्होंने बिहार सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशनों के लिए अनुदान का लाभ नहीं लिया हो।

(vi) प्रोत्साहन केवल उन्हीं चार्जर के लिए देय होगा, जो Bharat EV Charger (BEVC-AC001 and BEVC-DC001) की विशिष्टिताओं को पूर्ण करता हो।

10. विद्युत शुल्क

(i) राज्य सरकार ऊर्जा विभाग, बिहार के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि सभी सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों को यथोचित दर पर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध हो।

(ii) प्रथम तीन वर्षों में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी चार्जिंग स्टेशनों को Power Tariff में 30% तक का अनुदान दिया जा सकता है।

(iii) परिवहन विभाग द्वारा अनुदान देय होगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि का उल्लेख इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं के चार्जिंग बिल पर अंकित होना चाहिए।

(v) इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ता एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए राज्य सरकार बढ़ावा देगी।

(vi) इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं को देय चार्जिंग शुल्क अनुदान के अंतरण एवं इसके अनुश्रवण हेतु परिवहन विभाग द्वारा एक प्रणाली विकसित की जाएगी।

11. रिसाइक्लिंग इको सिस्टम– बैट्री एवं इलेक्ट्रिक वाहन

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों की बैट्रियाँ जिनकी क्षमता में 70–80% तक क्षरण हो गया है, को बदला जाना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक वाहन की आयु उन्हें उर्जान्वित करने वाली बैट्री से अधिक होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के 10 वर्ष के जीवनकाल में दो बार बैट्री बदलने की आवश्यकता होती है।

(ii) बैट्रियों के जीवनकाल की समाप्ति के पश्चात् उनका पुनः उपयोग अथवा रिसाइक्लिंग किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त पुनः उपयोग अथवा रिसाइक्लिंग सुविधा के अभाव के गंभीर पर्यावरणीय परिणाम होंगे। इलेक्ट्रिक बैट्रियाँ निस्तारण के क्रम में न केवल विषैली गैस उर्त्सजित करती है, बल्कि इनमें उपयोग होने वाले सामग्री लिथियम एवं कोबाल्ट काफी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं एवं इन्हें निकाला जाना काफी खर्चीला है।

(iii) अपने जीवनकाल को पूर्ण कर चुके इलेक्ट्रिक बैट्रियों के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा बैट्री एवं इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के सहयोग से रिसाइक्लिंग व्यवस्था की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके तहत बैट्री से बहुमूल्य धातुओं के निष्कर्षण एवं पुनः उपयोग को बढावा दिया जाएगा।

(iv) उद्योग विभाग, बिहार द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के परामर्श से बैट्रियों के पुनः उपयोग करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत नीति को अधिसूचित किया जाएगा।

12. नीति का कार्यान्वयन

बिहार राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति के निदेशन, अनुश्रवण तथा कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी :–

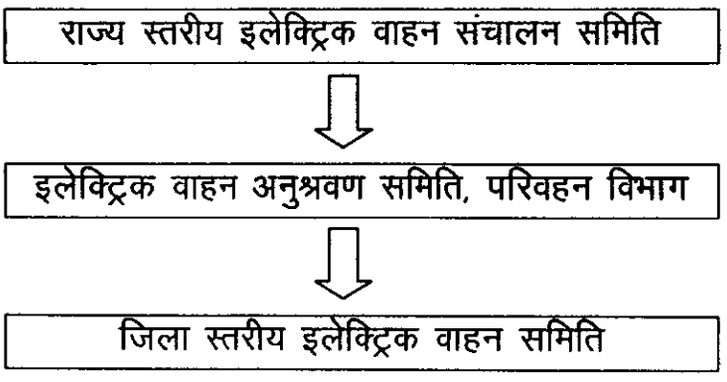

12.1 राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति

इलेक्ट्रिक वाहन नीति की समीक्षा, नीति मूलक निदेश के निर्धारण तथा प्रभावी कार्यान्वन के अनुश्रवण के लिए शीर्ष स्तर पर एक राज्य स्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति (स्टीयरिंग कमिटी) होगी, जिसके निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(1)	मुख्य सचिव, बिहार	अध्यक्ष
(2)	विकास आयुक्त, बिहार	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग	सदस्य

(4)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(5)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
(6)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य
(7)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग	सदस्य
(8)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
(9)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग	सदस्य सचिव
(10)	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम	सदस्य
(11)	अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड	सदस्य
(12)	राज्य परिवहन आयुक्त	सदस्य

राज्य इलेक्ट्रिक वाहन संचालन समिति राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन योजना एवं परियोजनाओं के सूत्रण, परिवर्द्धन एवं संशोधन के लिए पूर्णरूपेण सक्षम होगी।

12.2 <u>परिवहन विभागीय इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति</u>

(i) इस नीति के कार्यान्वयन के लिए परिवहन विभाग नोडल विभाग होगा।

(ii) इस उद्देश्य से परिवहन विभाग के अंतर्गत सचिव, परिवहन विभाग की अध्यक्षता में एक पूर्णकालिक इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य परिवहन आयुक्त, सदस्य सचिव होंगे।

(iii) यह समिति इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी।

(iv) इलेक्ट्रिक वाहन अनुश्रवण समिति इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के लिए उपलब्ध राशि के व्यय की स्वीकृति के लिए पूर्णतः सक्षम होगी।

12.3 <u>जिलास्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति</u>

(i) जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति होगी।

(ii) नगर आयुक्त, विद्युत कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता इस समिति के सदस्य होंगे तथा जिला परिवहन पदाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

(iii) इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम् एक बार इस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06/चार्जिंग स्टेशन–09–29/2021 9172 /पटना, दिनांक :– 5/12/2025

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

5/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06/चार्जिंग स्टेशन–09–29/2021 9172 /पटना, दिनांक :– 5/12/2025

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी–सह–सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06/चार्जिंग स्टेशन–09–29/2021 9172 /पटना, दिनांक :– 5/12/2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, परिवहन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 06/चार्जिंग स्टेशन–09–29/2021 9172 /पटना, दिनांक :– 5/12/2025

प्रतिलिपि :– राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त अधिसूचना के आलोक में विभागीय सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने की कृपा की जाय।

5/12

सरकार के सचिव

अनुसूची–2 (अनुमानित बजटीय आवश्यकता)

इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 के क्रियान्वयन एवं उद्देश्य के पूर्ति हेतु अनुमानित बजटीय आवश्यकता का आंकलन।

अधिकतम क्रय प्रोत्साहन			
वाहन का प्रकार	**अधिकतम क्रय प्रोत्साहन राशि (रूपये में)**	**पाँच वर्षों में कुल प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूपये में)**	**प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूपये में)**
दुपहिया	10,000 x 10000	10	2
चार पहिया	1,50,000 x 1000	15	3
कुल		**25**	**5**

अतिरिक्त कर छूट* (5 वर्ष के लिए)						
वाहन का प्रकार और मोटर वाहन कर की दर	**अधिकतम संख्या**	**लगभग कीमत**	**75% टैक्स छूट (करोड़ में)**	**50% पूर्व से टैक्स छूट (करोड़ में)**	**25% अतिरिक्त टैक्स छूट (करोड़ में)**	**प्रति वर्ष अतिरिक्त कर छूट (करोड़ में)**
दुपहिया @9%	10000	1 लाख	6.750	4.500	2.250	0.450
चार पहिया @11%	1000	15 लाख	12.375	8.250	4.125	0.825
कुल			**19.125**	**12.750**	**6.375**	**1.275**

* सम्प्रति इलेक्ट्रिक बस का परिचालन बिहार सरकार के अधीन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से किया जा रहा है, साथ ही बिहार राज्य में भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) का निबंधन की संख्या नगण्य होने के कारण कर छूट हेतु कुल उक्त वाहनों की संख्या निर्धारित नहीं है। इस कारण उपरोक्त गणना तालिका में भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) के कर में छूट की गणना समाहित नहीं है।

चार्जिंग स्टेशन की संरचना हेतु प्रोत्साहन			
चार्जर का प्रकार	**कुल राशि**	**3 वर्षों में कुल प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूपये में)**	**प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन राशि (करोड़ रूपये में)**
कोटि-1	50,000 X 600	3.0	1.0
कोटि -2	1,50,000 X 300	4.5	1.5
कोटि -3	1,50,000 X 300	4.5	1.5
कोटि -4	10,00,000 X 60	6.0	2.0
कुल		**18.00**	**6.0**

चार्जिंग स्टेशन पावर टैरिफ प्रोत्साहन				
चार्जर का प्रकार	चार्जर्स की संख्या	पॉवर आउटपुट	एक साथ चार्ज किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या	अधिकतम बेची गई बिजली / दिन (20 घंटा / दिन अनुमानित) KWH
कोटि-2:- Fast AC	1	22 KW	1	440
कोटि-3:- Slow DC	1	15 KW	1	300
कोटि -4:- CCS/CHAdeMO	1	50 KW	1	1000
कुल	**3**	**87 KW**	**3**	**1740**

अधिकतम उपयोग की गयी क्षमता (1740X360)	वर्ष 01 (सी0यू0एफ0 का 15%)	वर्ष 02 (सी0यू0एफ0 का 25%)	वर्ष 03 (सी0यू0एफ0 का 45%)	कुल 03 वर्ष में	03 वर्षों में अनुमानित ऊर्जा बिल @8**/यूनिट (रूपये)
अधिकतम पॉवर बेची / वर्ष (626400 यूनिट)	93960	156600	281880	532440	42.6 लाख

प्रस्तावित बिजली टैरिफ प्रोत्साहन प्रति पीसीएस 3 वर्षों के लिए 30% की दर से कुल	**12.78 लाख (लगभग)**
3 वर्षों में 30% की दर से विकसित किए जाने वाले 136* पीसीएस के लिए कुल अनुमानित पॉवर टैरिफ प्रोत्साहन	**7.17 करोड़ (लगभग)**

***कार्यात्मक पीसीएस की अनुमानित संख्याः– प्रथम वर्ष में 55, दूसरे वर्ष में 109, तीसरे वर्ष में 136**

****वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बी.ई.आर.सी. द्वारा 8 रूपये / यूनिट एच.टी. टैरिफ अधिसूचित किया गया**

कुल बजटीय आवश्यकता					
वित्तीय वर्ष	**मोटरवाहन टैक्स पर छूट की राशि (करोड़ रूपये में)**	**खरीद प्रोत्साहन की राशि (करोड़ रूपये में)**	**चार्जिंग स्टेशन प्रोत्साहन की राशि (करोड़ रूपये में)**	**चार्जिंग स्टेशन पॉवर टैरिफ प्रोत्साहन (करोड़ रूपये में)**	**कुल प्रोत्साहन की राशि (करोड़ रूपये में)**
वित्तीय वर्ष 2023-24	1.275	5.0	6.0	2.39	14.665
वित्तीय वर्ष 2024-25	1.275	5.0	6.0	2.39	14.665
वित्तीय वर्ष 2025-26	1.275	5.0	6.0	2.39	14.665
वित्तीय वर्ष 2026-27	1.275	5.0	-----	-----	6.275
वित्तीय वर्ष 2027-28	1.275	5.0	-----	-----	6.275
कुल	**6.375**	**25.0**	**18.0**	**7.17**	**56.545**

"बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" को लागू करने पर कुल बजटीय आवश्यकता 56.545 करोड़ रूपये इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में होगी। यह गणना विविध अनुमानों पर आधारित है, जिसमें वास्तविकता के आधार पर भिन्नता हो सकती है।